वर्ष 14 अंक 3
वर्षा 2024

करुणा-मित्र

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी – भारत की पत्रिका
प्राणी अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक धर्मार्थ ट्रस्ट

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी
एक ऐसी जीवनपद्धति है
जो किसी जीव को, चाहे वो
भूमि, जल अथवा वायु का हो
भय, पीड़ा अथवा मृत्यु नहीं पहुँचाती

इस अंक में:

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी नामकरण ● अर्द्धशतक ● बी डब्ल्यू सी की इच्छा–सूची

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी–भारत

4 प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव, वानवडी, पुणे 411 040

+91 74101 26541

admin@bwcindia.org bwcindia.org

विषय-सूची

1 ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी: नामकरण

2 अहिंसा परमो धर्मः

3 अर्द्धशतक

4 www.bwcindia.org

6 लोकतंत्र... या जीवतंत्र?

8 बी डब्ल्यू सी की इच्छा-सूची

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी

COMPASSIONATE FRIEND और करुणा-मित्र

इस अंक के प्रकाशन हेतु

₹ 1,50,000/– के दान के लिये

सिद्धोमल चैरिटेबल ट्रस्ट

के प्रति कृतज्ञ है।

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी
एक ऐसी जीवनपद्धति है
जो किसी जीव को, चाहे वो
भूमि, जल अथवा वायु का हो
भय, पीड़ा अथवा मृत्यु नहीं पहुँचाती

प्रकाशक: डायना रत्नागर,
अध्यक्षा, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी–भारत

सम्पादक: भरत कापडीआ

डिज़ाईन: दिनेश दाभोळकर

मुद्रण स्थल: श्री मुद्रा
181 शुक्रवार पेठ, पुणे 411 002

मुखपृष्ठ: बी डब्ल्यू सी सिद्धांत वाक्य

सभी तस्वीरें:
खरगोश © Misha Shiyanov
सफेद कबूतर © Dtguy
डॉल्फिन © Altitudevs
dreamstime.com से प्राप्त

करुणा-मित्र ©

का प्रकाशनाधिकार
ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी–भारत
के पास सुरक्षित है।
प्रकाशक की लिखित पूर्वानुमति के बिना
किसी भी प्रकार से किसी भी मुद्रित सामग्री
की अनधिकृत प्रतिकृति करना प्रतिबंधित है।

करुणा–मित्र प्राणिज पदार्थ–रहित कागज़
पर मुद्रित किया जाता है,
और प्रत्येक
बसंत (फरवरी), ग्रीष्म (मई),
वर्षा (अगस्त) एवं शिशिर (नवम्बर)
में प्रकाशित किया जाता है।

ब्यूटी विदाउट क्रूएल्टी (बी डब्ल्यू सी), प्राणी अधिकार हेतु धर्मार्थ संस्था इंग्लैण्ड में ऑनरेबल लेडी डाऊडिंग के द्वारा दो वर्ष के पश्चात् 1959 में स्थापित की गई थी। तब तक बी डब्ल्यू सी के कृत्रिम फर गौरवपूर्वक पहने जाते थे, जिन पर लगे बटन के ऊपर लिखा रहता था ''यह गलतफ़हमी न पालियेगा, मेरा फर है कृत्रिम, यह जानियेगा''। वास्तव में, हमारी मुहीम सर्वप्रथम थी, जिसने दुनियाभर में विलासिता के व्यापार में प्राणियों के उपर हो रही बेहद क्रूरता के प्रति जागरूकता जगाई। न केवल फर एवं खाल, बल्कि, अन्य उत्पाद, जैसे कि इत्र, प्रसाधन सामग्री और शौचालय सामग्री भी।

1993 में लेडी डाऊडिंग के निधन के पश्चात्, यु. के. स्थित बी डब्ल्यू सी बंद हो गई। वर्तमान में दो स्वतंत्र रूप से चल रहे बी डब्ल्यू सी संगठन अस्तित्व में हैं – भारत और दक्षिण अफ्रिका।

भारत स्थित बी डब्ल्यू सी विदेश से प्राप्त होने वाली सहायता अथवा विदेश से मिलने वाले दान स्वीकार नहीं करता है।

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी: नामकरण

आपको शायद ही पता हो कि प्रारंभिक तीन वर्षों के दौरान इस मुहीम को हम आठ लोग अपने जेब खर्च से चलाते थे। हमारी कोई मंशा नहीं थी कि हम कोई नयी सोसायटी का गठन करें। परन्तु, कुछ समय के पश्चात्, हमारे गुट को प्रतीत हुआ कि ग्रुप का कोई नाम होना चाहिए, क्योंकि, इन्हें तब 'लेडी डाऊडिंग की युवा महिलाएं' से जाना जाता था। इस पर मैंने सहमति जताई और उनसे कहा कि अगली मुलाकात तक वे बता दें कि उन्हें किस नाम से पुकारा जाए।

उनमें से कई दोस्तों ने सुझाव भेजें। उन दिनों मैं लंदन फैशन शो में क्रूरतापूर्वक पाए गए फर के विकल्प हेतु समर्थन जुटाने के लिए कुछ लोमचर्म व्यापारी, जोकि कृत्रिम फर (अप्राणिज) भी बनाते थे, की मुलाक़ात हेतु लंदन के लिए रवाना होने वाली थी कि हमारे समूह की एक दोस्त का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, ''मुझे सूझ नहीं रहा है कि हमारे गुट को किस नाम से बुलाया जाये, परन्तु, मेरे पति का कहना है कि तुम लोग वास्तव में ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी हों।''

आख़िरकार, थकान से चूर करने वाले एक दिन के अंत में मैंने एक व्यापारिक प्रतिष्ठान को खोज निकाला, जोकि हमारे साथ सहयोग करने को तैयार था। शेष में से अधिकाँश हमारे साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करने से कतराते थे। उक्त प्रतिष्ठान के मालिक ने हम से कहा, अब मुझे सही सही समझ में आ रहा है; आप हमें हमारे कृत्रिम फर कोट के उपर इस लेबल को चिपकाने के लिए कह रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो कि लोगों को प्रतीत हो जाए कि यह फर नहीं है और आप इसे बड़े फैशन शो में प्रदर्शित करना चाहते हैं। मैंने कहा कि उनका सोचना सर्वथा उचित है। तब उन्होंने कहा कि उस स्थिति में हम कोट के अंदर लेबल के उपर क्या नाम दर्शाएंगे? क्योंकि, लेबल के तैयार होने में केवल तीन सप्ताह शेष है।

जीवन में कुछेक क्षण ऐसे आते हैं, जब दिमाग सुन्न हो जाता है और यह ऐसा ही एक क्षण था। मुझे अब याद नहीं है कि गुट के द्वारा प्रदत्त नामों के सुझावों में और कौन से नाम आये थे। किन्तु, यह अंतिम सुझाव वाला नाम मेरे हैंड बैग में था। इस सोच से डरकर कि यदि मैं हिचकिचाई, तो उसका विचार बदल जाएगा, मैंने शीघ्रतया कह दिया, 'ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी'। अगली मुलाकात के समय लोमचर्म व्यापारी के द्वारा निर्मित नए कोट के साथ मैं उपस्थित थी, जिसके भीतर सगर्व लेबल था, Beauty Without Cuelty (ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी) और इस प्रकार हमने अपना नाम पाया। शायद, ये चीज़ें सार्थक हैं।

स्व. राइट ऑनरेबल म्युरियल, लेडी डाऊडिंग
स्थापक एवं अध्यक्ष
ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी–इन्टरनेशनल

अहिंसा परमो धर्मः

***जब हम विश्वबंधुत्व की बात करते हैं, हम केवल मानव बांधवों की बात नहीं करते हैं, बल्कि, सभी प्रकार के जीवों प्राणी, पक्षी, मत्स्यगण, सरीसृप, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवाणु की भी बात करते हैं,* कहते हैं, भरत कापडीआ**

अहिंसा का क्रियान्वित स्वरुप – अर्थात् ब्यूटी विदाउट क्रूएल्टी! इसका तात्पर्य है, सभी जीवों का संवादितापूर्ण एवं शांतिपूर्ण साहचर्य, जोकि बी डब्ल्यू सी का मकसद है।

सौंदर्य की चाह किसे नहीं होती है? हर किसीको सुन्दरता का आकर्षण होता है परन्तु, ऐसा सौंदर्य पाते वक्त क्या हम यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐसी सुन्दरता क्रूरता का परिणमन नहीं है और और करुणा के ऊपर आधारित है?

जैसा व्यवहार हम औरों से हमारे लिए चाहते हैं, ठीक वैसा ही, या उससे बेहतर व्यवहार औरों के प्रति करने की हम से उम्मीद की जाती है। परन्तु, यह केवल मनुष्यों तक ही सीमित क्यूँ हो? मनुष्यों के अतिरिक्त मनुष्येतर प्राणी–पक्षी, छोटे जीवाणु समेत सभी के लिए भी यही व्यवहार होना चाहिये।

यदि हम शांतचित्त से अपने भीतर थोडा गहराई में उतरेंगे तो हमें प्रतीत होगा कि जब जब हम शांतिपूर्ण भाव के साथ अपने आप से जुड़ जाते हैं, हमारे भीतर करुणा का प्रादुर्भाव होता है, तब हम में मैत्री जगती है। यह मैत्री किसी व्यक्तिविशेष अथवा प्राणीविशेष या प्रजातिविशेष के प्रति नहीं होती है। ऐसी मैत्री संसार के समस्त जीवों के प्रति जगती है। हमारे परिवारजन, हमारे पास–पडोसी, हमारे आसपास का पर्यावरण, जिसमें विश्व के समस्त प्राणी समाविष्ट होते हैं, सभी के प्रति करुणा का, मैत्री का भाव जगता है। यही अहिंसा है, यही विश्वबंधुत्व है। विश्व का परम सत्य, परम धर्म है – अहिंसा परमो धर्मः।

हमारे भीतर ऐसी करुणा का प्रादुर्भाव होने के पश्चात् हम करुणा से परिपूर्ण मैत्री के वाहक हो जाते हैं। मैत्री का आविर्भाव होने के बाद हम किसी भी प्रकार की क्रूरता या हिंसा का आचरण नहीं कर पाते हैं। प्रथम सोच–विचार के स्तर पर हमारा परिचय करुणा से होता है। बाद में भावना के स्तर पर हम करुणा और मैत्री से जुड़ जाते हैं। तत्पश्चात् हम जगत के किसी भी जीव को हानि पहुँचाने की सोच भी नहीं सकते हैं।

अहिंसा परमो धर्मः के पथ पर चलकर आसानी से पा सकते हैं, क्रूरताविहीन सौंदर्य और करुणा से परिपूर्ण मैत्री।

मन–वचन–कर्म से हम अहिंसक बनें और हमारे आसपास रहने वाले मनुष्येतर प्राणियों तक को भी यह प्रतीति दिलायें कि हम उनके बारे में चिंतित हैं, हम उनके साथ सहवास, सहजीवन की कामना रखते हैं, न कि, उन्हें मारकर अपने भोजन या साज–सिंगार की सामग्री के रूप में देखते हैं, न ही सजावटी सामग्री या मनोरंजन के माध्यम के रूप में देखते हैं।

जब हम विश्वबंधुत्व की बात करते हैं, हम केवल मानव बांधवों की बात नहीं करते हैं, बल्कि, सभी प्रकार के जीवों प्राणी, पक्षी, मत्स्यगण, सरीसृप, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवाणु की भी बात करते हैं। सूक्ष्मतम जीवाणु तक को भी हमें अभय देना है।

विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि वनस्पति में भी जीव या चैतन्य होता है। जैन धर्म में निश्चित दिवसों को हरी वनस्पति का और कंद का सदा के लिए त्याग होता है, यह पूर्णतया वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, किसी को यह नज़रिया अतिरेक लग सकता है, परन्तु, सूक्ष्म जीवाणुओं तक को अभय देने की जैनियों की विचारधारा को हम सब अपना सकते हैं। आँखों को नहीं दिखने वाले जीवाणुओं को भी अहिंसा के दायरे में लाना मनुष्यत्व की चरमसीमा है।

ब्यूटी विदाउट क्रूएल्टी के लिए अहिंसा परमो धर्मः का सिद्धांत कोई नयी बात नहीं है। ब्यूटी विदाउट क्रूएल्टी ऐसा जीवन–मार्ग है, जोकि, भूमि, जल या वायु के किसी भी जीव को यातना, सितम या मृत्यु नहीं पहुंचाना है।

1974 से आरम्भ हुई अब तक की पचास वर्षों की अनवरत यात्रा में हमने निरंतर प्राणियों के प्रति अनुकंपा से भरी सक्रिय चिंता जताई है । हमने बी डब्ल्यू सी के सदस्यों के ज़रिये हमारी अंग्रेजी पत्रिका *कंम्पेशनेट फ्रेण्ड* एवं हिंदी पत्रिका *करुणा–मित्र* के माध्यम से विचारों का प्रसार किया है, सरकार के साथ संवाद के द्वारा प्राणी–विषयक कानून में सुधार करने के लिए गुहार लगाई है, जिससे कि प्राणियों के ऊपर बरसाई जानेवाली यातना में महत्तम कमी हो। हमने समाज में व्याप्त परंपराओं में प्राणियों के पक्ष में सुधार लाने अथवा कार्यान्वयन करने के लिए भी गुहार लगाई है।

इस प्रकार विचार का प्रचार–प्रसार और क़ानून और परंपरा में बदलाव लाने के लिए ठोस कार्रवाई की है और ठोस परिणाम पाये हैं। हमें संतुष्टि और प्रसन्नता है कि हमारे लगातार प्रयासों को आप सभी सदस्यों का प्रोत्साहक प्रतिभाव प्राप्त हुआ है। सरकार की ओर से भी हमें समय समय पर सकारात्मक प्रतिसाद प्राप्त हुआ है, जिसके फलस्वरूप हमारा कार्य करने का उत्साह बना रहा है। आपके प्रोत्साहक समर्थन के लिए हम अंतःकरणपूर्वक आप सभी बी डब्ल्यू सी–भारत के सदस्यों के प्रति कृतज्ञ हैं। बी डब्ल्यू सी में स्थित हम सभी आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्राणियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों में कमी लाने हेतु हम अपनी मुहीम को ईमानदार कोशिशों के साथ जारी रखेंगे, जिससे कि आपको करुणामाय जीवनशैली का अनुसरण करने में सहायता प्राप्त हो।

अहिंसा परमो धर्मः।

भरत कापडीआ
सम्पादक करुणा–मित्र

अर्द्धशतक

50 वर्षों में 117 उपलब्धियों से फ़र्क अवश्य पड़ा है कहती हैं, डायना रत्नागर

भारत में 12 सितम्बर 1974 के रोज़ ब्यूटी विदाउट क्रूएल्टी की शाखा की स्थापना हुई थी।

सर्वप्रथम, बी डब्ल्यू सी, इस संगठन के हिस्से, ऐसे प्रत्येक महानुभाव की आभारी है, विशेषकर उन सभी के प्रति भी आभारी हैं, जोकि इसके उदात्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु सक्रिय रूप से हमारी सहायता कर रहे हैं। हम विशेषकर उनका धन्यवाद करते हैं, जिनकी बदौलत हम इतनी लंबी दूरी तय कर पाये हैं।

बी डब्ल्यू सी जिसकी पक्षधर है और जो कार्य हम कर रहे हैं, हमारे नीति-वाक्य में स्पष्ट किया गया है:

ब्यूटी विदाउट क्रूएल्टी
एक ऐसी जीवनपद्धति है
जो किसी जीव को, चाहे वो
भूमि, जल अथवा वायु का हो
भय, पीड़ा अथवा मृत्यु नहीं पहुँचाती

आरंभ में हमने शाकाहारियों को इस पृष्ठभूमि के ऊपर अनुरोध किया कि यदि आप प्राणियों को खाते नहीं हैं, तो चमड़े जैसे प्राणिज उत्पादों का उपभोग करके परोक्ष रूप से प्राणियों की यातना और मौत का समर्थन कैसे कर सकते हैं? साथ ही, हमने मांसाहारियों से निवेदन किया कि पशुओं के उपर बाह्य दिखावे के लिये हो रहे अत्याचार की वे भर्त्सना करते हुए हमारी मुहीम का समर्थन करें।

टाइपराइटर्स एवं लैण्डलाइन के भी एक दिन थे। हमारे जीवन में कोम्प्यूटर, मोबाइल या कुरियर तक का अस्तित्व नहीं था। हम किसीसे संवाद करने के लिये पत्र के द्वारा अथवा रूबरू संवाद से काम चलाते थे। हमने बी डब्ल्यू सी के सिद्धांतों का परिचय लोगों को जैन संघपतियों, जीव-दया को बढ़ावा देने वाले, जन-सेवा संस्थाएं, विद्यालय एवं महाविद्यालय और जहाँ कहीं से भी संभव हो सका, उन सभी माध्यमों से कराया। हमने अपनी 16 mm की सूचनाप्रद दस्तावेजी फ़िल्में "वॉट् प्राइस ब्युटि?" "ब्यूटी विदाउट क्रूएल्टी" साथ ही "आइवरी पोचर्स" जैसी फ़िल्में दिखायीं।

भारत में और विदेशों में होने वाली परिषदों में हमारे प्रतिनिधित्व की बदौलत हमारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायता मिली। कुछेक अग्रणी प्रकाशनों के द्वारा हमारे अस्तित्व और हमारे कार्य को ध्यान में लिया गया। 1977 में हमारी अपनी तिमाही पत्रिका *कंम्पेशनेट फ्रेण्ड* का प्रारंभ हुआ। हालाँकि, गुजराती पत्रिका *सत्त्वानुकम्पा* का प्रकाशन हमें बंद करना पड़ा, परंतु हिंदी पत्रिका *करुणा-मित्र* वर्तमान में जोरों-शोरों से चल रही है और उसकी लोकप्रियता अब भी बनी हुई है।

आधी सदी से हम प्राणियों के शोषण की जांच करते आये हैं और उससे प्राप्त वास्तविक सूचना को लोगों तक परिपत्रित करते हैं, ताकि, लोगों को निरीह पशुओं के उपर हो रहे अत्याचार, उन पर बरसाए जानेवाली मौत के विषय में पता चले, फलत: वे ऐसी गतिविधियों को समर्थन देना बंद कर दें और अप्राणिज विकल्पों का प्रयोग करें। साथ ही हम लोगों को जीवनशैली में विशिष्ट सुधार करने हेतु मार्गदर्शन देते हैं, जिससे कि प्राणियों के ऊपर अत्याचार और उनकी मौत से उन्हें बचाया जा सकें।

पालतू प्राणी, जंगली प्राणी, सरीसृप, पक्षी और समुद्री जीवों के पक्ष में निर्णय लेने में सक्षम प्राधिकारी, कानून के रखवाले, प्रभावकारी लोगों को प्रचार, आवेदन/याचिका के माध्यम से अनवरत संपर्क करते हुए उनके पक्ष में कार्य करने को हम प्रेरित करते रहते हैं।

बी डब्ल्यू सी के नीति-वाक्य के अनुरूप बी डब्ल्यू सी ने मिथ्या दिखावों के लिये प्राणियों के व्यापारी शोषण के ऊपर अपना ध्यान केन्द्रित किया। कई वर्षों से हमारे संगठन ने अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों के दायरे के भीतर (बी डब्ल्यू सी के आज्ञापत्र में प्राणियों का व्यावहारिक कल्याण अथवा उन्हें आश्रय प्रदान करना सम्मिलित नहीं है) रहते हुए अपनी कार्यशैली का विस्तार करते हुए उसमें वाणिज्यिक लाभ हेतु यातनाग्रस्त, सितमग्रस्त और मौत बरसाए जानेवाले प्राणियों और व्हीगनवाद के प्रचार का समावेश किया है।

कंम्प्युटरीकरण और नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए, अपनी वेबसाईट के माध्यम से युवा पीढ़ी को व्यापक रूप से आकर्षित करने के बावजूद, हम आकर्षण एवं प्रचार से सदैव दूर रहे हैं। निरंतर अपने लक्ष्य को दृष्टि के समक्ष रखते हुए हम अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते हैं। अधिकाँश नियत कार्य कठिन होने के बावजूद, कभी कभी तो असंभव से प्रतीत होते हुए हमने उनका कार्यान्वयन रुक जाने अथवा पाने में असंभव सा प्रतीत होने के बावजूद प्राणी-कल्याण के हमारे लक्ष्य को नजर के समक्ष रखकर फोलो-अप का सातत्य बनाये रखकर उसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नए मार्ग खोजने के कारण बी डब्ल्यू सी ने उल्लेखनीय सफलता हांसिल की है।

पचास वर्षों में 117 उपलब्धियों से फ़र्क पड़ा है, जिन्हें अभिस्वीकृति प्राप्त हुई है और उल्लेखनीय सफलता पायी है, जिनका अभिस्वीकरण हुआ है, साथ ही इसकी प्रशंसा भी की गई है। उदाहरणार्थ: सर्कस में प्राणियों के प्रयोगों के ऊपर प्रतिबंध, फ्वा ग्रा (बत्तख के कलेजे की खाद्य वानगी) की आयात के ऊपर प्रतिबंध।

बी डब्ल्यू सी प्राणियों के शोषण, उन पर अत्याचार, उनकी हत्या, प्राणियों के द्वारा मनोरंजन, उन्हें बंधन में रखने, प्राणिज घटक, उत्पादन प्रक्रिया में प्राणी के प्रयोग का अंत करने के विषय में अपना ध्यान केन्द्रित करना जारी रखा है। इसके विकल्प में हम जीवनशैली में बदलाव लाते हुए समस्त जीवों के प्रति आदर को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित करते हैं।

यदि आप हमारे इस ध्येय से प्रसन्न होकर हमें इस स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में श्रेष्ठ उपहार देने को इच्छुक हैं तो बी डब्ल्यू सी का शपथपत्र भरकर प्रस्तुत करें। उसके बाद यदि और भी कुछ देना चाहें तो अपने किसी सगे, संबंधी या मित्र को बी डब्ल्यू सी की आजीवन सदस्यता उपहार स्वरुप ₹ 300/- प्रदान करें। स्मरण रहे, समर्थकों की संख्या जितनी अधिक होगी, उतनी ही प्रबल हमारी आवाज़ होगी। यदि प्रत्येक सदस्य एक-एक नया सदस्य बनाये, तो आनन फानन में सदस्यों की संख्या दुगनी हो जायेगी।

डायना रत्नागर
स्थापक, प्रबंध ट्रस्टी एवं अध्यक्ष
बी डब्ल्यू सी-भारत

www.bwcindia.org

बी डब्ल्यू सी की वेबसाईट अब समसामयिक रूप धारण करने जा रही है। सरल और सुव्यवस्थित संरचना, रंगों का कम प्रयोग, ज्यादा तामझाम वाला डिजाईन न हो। उद्देश्य केवल एक, जो महत्त्वपूर्ण है, वह तुरंत उपलब्ध हो, कहते हैं, दिनेश दाभोलकर

आप में से अनेक लोगों को लगता होगा कि बी डब्ल्यू सी-भारत की आरंभ से ही अंतर-जाल (वेब) पर उपस्थिति रही होगी। हाल ही में जब हमारी अध्यक्षा डायना रत्नागर और मैं पुराने दिनों को याद कर रहे थे, तब हमें यह एहसास हुआ कि बी डब्ल्यू सी पिछले 27 वर्षों से 'ऑनलाइन' है... जी हाँ, सत्ताईस वर्षों से। ऐसा लगता है, मानो, कल ही की बात हो, जब हमने अपना पहला संस्करण अपलोड किया था। बी डब्ल्यू सी प्राणियों के अधिकारों के लिए कार्यरत संस्थाओं में शायद पहली संस्था होगी, जिसने वेब पर अपनी उपस्थिति पहले दर्ज़ की।

बी डब्ल्यू सी में डिजाइनर के रूप में मेरे प्रथम कार्यकाल के दौरान एक दिन डायना ने मुझ से कहा कि हमारी भी एक वेबसाइट होनी चाहिए।। यह 1997 का आरंभिक काल था। उन्हीं दिनों हमें इन्टरनेट कनेक्शन मिला था और हमारे पास एक ही ईमेल एड्रेस था, bwcindia@giaspn01.vsnl.net.in। उस समय हम में से किसीको भी वेबसाइट डिजाइनिंग के विषय में ज़रा सी भी जानकारी नहीं थी। फिर भी हमने काम शुरू कर दिया। हमारे ट्रस्टीगण में से एक, मेहेर मेहता ने हमारे लिए मुंबई में वेबसाइट डिजाइनिंग का एक फ्रीवेयर (नि:शुल्क) सॉफ्टवेर डाउनलोड किया, क्योंकि उन दिनों में पुणे में इन्टरनेट की स्पीड काफी कम हुआ करती थी। मुझे मुंबई जाकर उस सॉफ्टवेर को कॉपी करके पुणे लाना पड़ा था।

आख़िरकार इस प्रकार वह सॉफ्टवेर बी डब्ल्यू सी के एकमात्र कंप्यूटर पर इनस्टॉल हो गया और मैंने साईट डिज़ाईन का अपना काम शुरू कर दिया, काम करते हुए सीखने के सिद्धांत को अपनाते हुए मैंने उसे पूर्ण किया। यह सब करते हुए मुझे वाकई बहुत मज़ा आ रहा था। यह पूर्ण रूप से एक रोमांचकारी अनुभव था। हमारी वेबसाइट बनकर तैयार हो गई। इसमें बी डब्ल्यू सी के बारे में

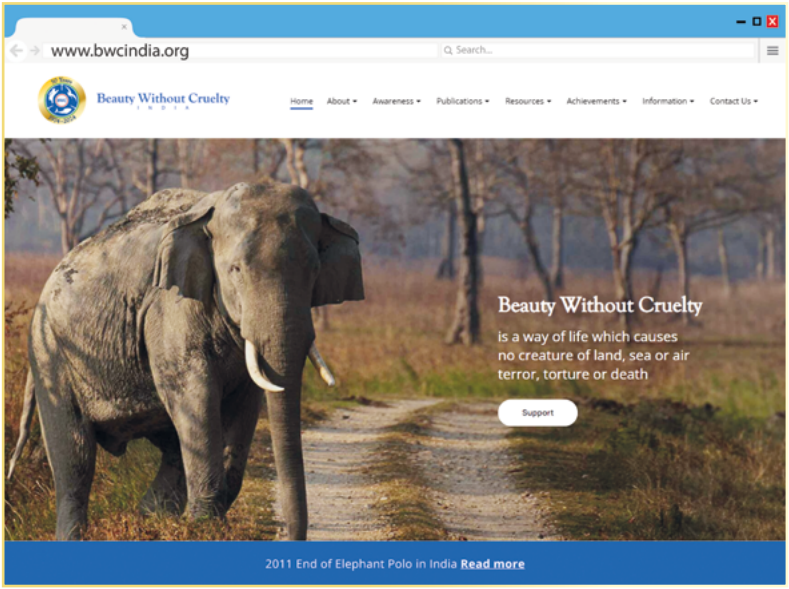

जानकारी थी। साथ ही *कंम्पेशनेट फ्रेण्ड* का ग्रीष्म 1997 का संस्करण भी था। हम सेवाभावी संस्था (NGO) होने के कारण विदेश संचार निगम (VSNL), जोकि उस समय का इकलौता इन्टरनेट सेवा प्रदाता था, उन्होंने नि:शुल्क इसका मेजबान (host) बनना स्वीकार किया। उन दिनों वेबसाइट अपलोड करने हेतु FTP की उपलब्धता नहीं थी । हमें एक डिस्क पर अपनी वेबसाइट को कॉपी करना पड़ा, आपको शायद ही याद हो। उसके बाद VSNL दिघी में जाने के लिए 20 किमी की यात्रा, जहाँ पर हमें एक जीवाणुरहित सर्वर रूम में (जूते निकालकर) जाने की अनुमति दी गई। तत्पश्चात् वहाँ के कर्मचारियों ने हमारी साईट को VSNL के सर्वर पर अपलोड कर दिया। अब हमारा पता था http://giaspn01.vsnl.net.in/~bwcindia, जो काफी लंबा था। लेकिन अब बी डब्ल्यू सी, World Wide Web पर मौजूद था। फिर धीरे-धीरे हमारे पास हमारी खुद की server space भी आ गई और अब हमारा वेब एड्रेस बना, www.bwcindia.org. तब से बी डब्ल्यू सी अपनी ऑनलाइन पहचान/अपना अस्तित्व बनाये हुए है।

इसके उपरांत नई सहस्राब्दी के साथ मैं भी नई-नई बातों को अपनाते हुए आगे बढ़ता गया। टेक्नोलॉजी के विकसित होने और बदलने पर हमारी वेबसाइट भी बदलती गई और विकसित होती गई। इन दिनों शशि कुमार जी बड़ी कुशलता से वेबसाइट को बी डब्ल्यू सी के कार्यालय से ही अद्यतन रखते हैं। अब दिघी की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं रही है।

कुछेक अरसे से वेबसाइट के डिज़ाईन को बदला नहीं गया है। अब इसके लिए बी डब्ल्यू सी की स्वर्ण जयंती से बेहतर अवसर हो ही नहीं सकता है।

अब हम अपनी साईट को अद्यतन और आधुनिक बना रहे हैं। इस काम में बहुमूल्य तकनीकी योगदान हमारे आजीवन सदस्य नियमसान छाया जी दे रहे हैं। पुणे स्थित चिट्टलसॉफ्ट इस साईट का डिज़ाईन बना रहे हैं। साईट को आधुनिक रूप देने के साथ साथ सरल और सुव्यवस्थित संरचना के साथ रंगों का कम इस्तमाल, ज्यादा तामझाम वाला डिज़ाईन न हो, इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस साईट का मुख्य उद्देश्य, जो आवश्यक हो वह तुरंत उपलब्ध हो, यह है – बी डब्ल्यू सी के उद्देश्य, उपलब्धियाँ, संगठन विषयक जानकारी, इसके साथ प्राणियों के अधिकारों के बारे में जानकारी। हमारे प्रकाशन, प्राणियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर तथ्यात्मक जानकारी और व्हीगन खाद्य पदार्थों की सामग्रियों का खज़ाना भी इसमें शामिल है। इतना ही नहीं, पोस्टर्स, प्राणियों के विषय में जागरूकता बढ़ाने वाले विडियो की लिंक भी इसमें दी गई है। अब हमारी वेबसाइट में मोबाइल फोन के साथ भी अनुकूलन लागू किया जा रहा है। हमारी वेबसाइट को आप आसानी से अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। इसका मतलब अब बी डब्ल्यू सी आपकी जेब में समा गया है। आप जहां जायेंगे, वहां पर आप बी डब्ल्यू सी को साथ पायेंगे।

मुझे विश्वास है कि डिजाईन में यह बदलाव अंतिम नहीं होगा। इन्टरनेट इसी प्रकार कार्य करता है और हम भी उसे अपनाते हुए उसके साथ ही विकसित होते रहेंगे। फ़िलहाल, हम अद्यतन हो गए हैं। आशा है, इसका उपयोग कर आपको प्रसन्नता होगी।

दिनेश दाभोलकर
मीडिया डिज़ाईनर

लोकतंत्र... या जीवतंत्र?

विश्व भर मे व्हीगन होटलों की बढती लोकप्रियता, व्हीगन जीवन पद्धति के हमारे स्वास्थ्य पर होते अच्छे परिणाम, उसमें बंधे हुए शांति और अहिंसा के संदेश और पशु-अधिकार के सिद्धांत की जागृति कुल मिलाकर शायद वह दिन पास लाएंगे जब हम पशुओं के प्रति मांसाहार हेतु कत्ल सहित किसी भी प्रकार की क्रूरता को गैर-कानूनी घोषित करने का दबाव डालेंगे, कहते हैं, डॉ रणजित कोनकर

वो दिन कब आएगा जब कोई भी देश प्राणीहत्या को गैर-कानूनी घोषित करेगा? इतिहास में यह कभी हुआ है? कौन सा देश होगा वह?

प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के शासन को नॉर्म फेल्प्स [1] ने दुनिया के इतिहास में पाये जाने वाले बहुत दुर्लभ उदाहरणों में से एक बताया है, जिसने पशुओं को नागरिकों के समान दर्जा देकर अपनी सुरक्षा के उसी लायक समझा, जो उसके मानवी निवासी थे। यह विचार 261 BC में कलिंग के भीषण युद्ध में हुए नर-संहार के दृश्य को देखकर अशोक के मन पर हुए आघात का परिणाम था। युद्ध में पाई विजय को अशोक ने मूल्यहीन और अत्यंत निरर्थक पाया। अगण्य स्तर की मृत्यु से सम्राट अशोक इतने स्तब्ध बताए जाते हैं कि वह फलस्वरूप उस समय के नवोदित और अहिंसावादी बौद्ध धर्म को राजधर्म बना कर अपना लेते हैं। इसके अंतर्गत पशुबलि, पशुशिकार, विशिष्ट दिवसों पर पशुकत्ल, बहुत छोटे या बहुत वृद्ध पशुओं का कत्ल इत्यादि पर उन्होंने कानूनी प्रतिबंध लगाया। मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का उन्होंने कदम नहीं उठाया, लेकिन राजमहल की रसोई में उन्होंने मांस का उपयोग वर्जित किया।

पशु-अधिकार को मिले राज-समर्थन की यह सुखद अवस्था कब तक चली होगी, वह कितनी लोकप्रिय रही होगी, अशोक के मरणोपरान्त टिकी होगी या नहीं, यह हमें नहीं मालूम। लेकिन जब तक वह टिकी, तब तक कसाई की छुरी से उनको बचाने के लिये देश के पशु सम्राट अशोक को अपना मसीहा ही मानते होंगे।

पशुओं के प्रति अहिंसा की सीख देने वाली महावीर व बुद्ध की एकमेव जोडी को इस दुनिया से गए अब 2500 वर्ष हो गए। सम्राट अशोक के बाद न भारत, न पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश रहा, जिसने अपने पशुओं की सुरक्षा के लिये इतने व्यापक कानून बनाए। मानवेतर सृष्टि के प्रति महावीर और बुद्ध के बताए धर्म के मार्ग पर सम्राट अशोक ने जो कदम आगे लिये थे, उसी पर दुनिया पीछे चलने लगी।

लगभग सारे देशों के अपने-अपने पशु-कल्याण कायदे हैं। लेकिन मांसाहार-हेतु किये जाने वाले पशु-कत्ल को न्याय की सुरक्षा हर देश में प्राप्त है। अधिकतर देशों में पशु-संसाधन-केंद्रित व्यवसायों से बहुत पैसा कमाया जाता है। पशु-कल्याण कायदों के तहत बैलगाड़ी पर अनुमति से अधिक वजन लादकर बैल को पीड़ा पहुंचाने के अपराध के लिये हम बैलगाडी वाहक को पुलिस थाने ले जा सकते हैं। लेकिन कोई पशु का कत्ल करे तो हम उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करवा सकते। यह ठीक उसी तरह है कि 1829 में सती प्रथा गैर-कानूनी घोषित होने के पहले आदमी का अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए आप विरोध कर सकते थे, लेकिन उसे अपने मृत भाई की पत्नी को ज़िन्दा जलाने से आप नहीं रोक सकते थे। पशुओं के मामले में भी कानूनी और गैर-कानूनी सलूकों में उतना ही स्पष्ट विरोधाभास है।

किन्तु 2 सहस्राब्दियों के पश्चात्, बीते कुछ दशकों मे हमारे इस ग्रह के पशु बांधवों के बारे में विचार करने की मांग अब वैश्विक स्तर पर हो रही है। कई राष्ट्र अपनी संकटग्रस्त प्रजातियों को सुरक्षा दिलाते हैं (जैसे आफ्रिका में हाथी)। कुछ राष्ट्रों में विशिष्ट प्रजातियों को धर्माधारित स्थान के कारण कानून में सुरक्षा प्राप्त है (जैसे भारत में गाय)। सुनने में आता है कि इस्राएल जैसे देशों में होटलों को व्हीगन खाना उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यूरोप के कुछ राष्ट्र आगामी दशक के अंदर फॅक्टरी फार्मिंग को गैर-कानूनी घोषित करने के मार्ग पर हैं। भारत जैसे देश में बिकाऊ खाद्य पदार्थों पर शाकाहारी अथवा मांसाहारी का संकेत लगाना अनिवार्य है। विश्व की सामूहिक राय और देशों की उस पर कदम उठाने की तैयारी के झूले का धीरे से ही सही लेकिन कुछ पीढ़ियों में दूसरी तरफ झूलने की आशाजनक चिन्ह हैं।

लेकिन सरकारों को कुछ भी गैर-कानूनी घोषित करने के लिये जनता को या प्रभावशाली विचारकों को उस विषय पर एकमत होना पडता है। आज लोगों को ही मांस और दूध की लत लगी हुई है, उस खाने में कोई गलती मानने को तयार नही हैं। अपनी आदत के बचाव में वह इतना ही कह सकते हैं कि मेरे बेहतर दिमाग से बनाए दमन, शोषण और कत्ल के औजारों के द्वारा मैं पशुओं पर राज कर सकता हूं, तो क्यों न करूं, मुझे कौन रोकेगा? नैतिकता, अंतरात्मा की आवाज़, स्वाभाविक दया या करुणा का कोई विचार किये बिना सारे कत्ल और दुर्व्यवहार को स्वीकृत ठहराया जाता है।

बी डब्ल्यू सी का मानना है कि पशुओं को कानूनन दर्जा देकर, उन्हे मनुष्य के हस्तक्षेप बिना निसर्ग से मिली पूरी जीवनावधि जीने देकर सरकार समेत सबको उनके मूल अधिकार स्वीकार करने चाहिये। अगर मनुष्य के कामों के लिये उनका उपयोग किया जाए (जैसे बोझ ढोने सा हल चलाने के) तो उन्हें पीड़ा पहुंचाए बिना, शारीरिक हलचल और पर्याप्त जगह से वंचित रखे बिना, प्रजाति-विशिष्ट मातृत्व और आपसी संबंधों में बाधा पहुंचाए बिना, और सारवार, पोषण, और आसरे के साथ हो। पशु तो इस पृथ्वी पर हमसे कई पहले आये, अत: हमारे उपयोग में आने से उनके जीने के अधिकार का कोई संबंध नहीं है। इस संदर्भ में 'रेव्हरेंस फॉर लाईफ' के सिद्धान्त के लिये 1952 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले डॉ. ॲल्बर्ट श्वाइट्ज़र के शब्द बहुत योग्य है - 'जीने की इच्छा रखने वाले जीवों के बीच...मैं भी जीने की इच्छा रखने वाला।'

विश्वभर में व्हीगन होटलों की बढ़ती संख्या, लोकप्रियता, और सफलता, व्हीगन जीवनपद्धति के हमारे स्वास्थ्य पर होते अच्छे परिणाम, उसमें बंधे हुए शांति और अहिंसा के संदेश और पशु-अधिकार के सिद्धांत की जागृति कुल मिलाकर शायद वह दिन पास लाएंगे, जब दृढ विश्वास से बहुतांश लोक पशुओं के प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता को गैर-कानूनी घोषित करने का दबाव अपने सांसदों पर डालेंगे। हर गैर-कानूनी चीज़ की तरह, प्रतिबंध लगाने पर भी कुछ क्रूरता तो फिर भी होगी, परन्तु, धूम्रपान, ड्रग्स, महिलाओं पर अत्याचार, इत्यादि गुनाहों की तरह उसके आरोपियों को अपना बचाव करना पडेगा, न कि उसके आरोप लगाने वालों को। हमें ऐसी दुनिया बनानी है, जहां हमारे पशु बांधव हमारे कारण सुरक्षित महसूस करते हों, न कि हमारे डर से सुरक्षा चाहते हों।

डॉ रणजित कोनकर
ट्रस्टी बी डब्ल्यू सी-भारत

फेल्प्स, नॉर्म (2007) 'द लॉंगेस्ट स्ट्रगल : ॲनिमल ॲड्व्होकेसी फ्रॉम पायथॅगोरस टु पेटा' लॅण्टर्न बुक्स ISBN 978-15905-61065

बी डब्ल्यु सी की इच्छा-सूची

केवल शुभकामनाएं प्रेषित करने जितना सरल नहीं है... बी डब्ल्यू सी विगत पचास वर्षों से अपने ध्येयों की प्राप्ति हेतु कठोर परिश्रम करती आई है... और यह करती ही रहेगी।

बी डब्ल्यू सी अपनी इच्छा-सूची में सैंकड़ों बातें रखना चाहेगी। उनमें से कुछेक निम्नानुसार हैं:

खाद्य सामग्री की भांति सौंदर्य प्रसाधन, टॉयलेट सामग्री, औषधि और समस्त उपभोक्ता सामग्री के ऊपर व्हीगन, शाकाहारी और मांसाहारी चिह्न लगाना अनिवार्य होना चाहिए।

चिड़ियाघरों में स्थित प्राणी और वन में रहने वाले प्राणी के मरने पर उनकी लाश को दफ़नाने के स्थान पर जलाया जाना चाहिये, न ही अनिश्चित काल तक उनका संग्रह किया जाये, न ही उनकी नीलामी की जानी चाहिये। साथ ही ज़ब्त की गई वन्यजीवन सामग्री सदा के लिये नष्ट की जानी चाहिये।

उपभोक्ता संरक्षण अथवा अनुसंधान के नाम पर प्रयोगशाला में प्राणियों का प्रयोग किसी उत्पाद के परीक्षण या प्रक्रिया को जांचने हेतु नहीं होना चाहिये।

वन्यजीवों को बाधारहित रूप से वन में ही रहने देना चाहिये, न कि प्रदर्शन हेतु कारागारों में, जहाँ कि संरक्षण, शिक्षा और अनुसंधान के गलत दावे किये जाते हैं।

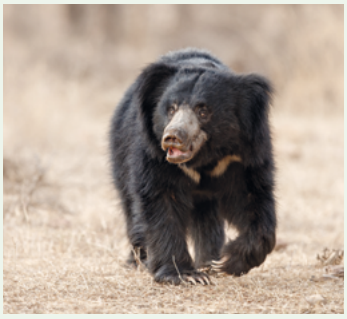

ज़ब्त किये गए वन्य जीव वापस वन में ही छोड़ दिये जाने चाहिये।

पोलो के खेल, जल्लीकट्टू या सुख-सवारी के तथाकथित तमाशे या मनोरंजन के बहाने प्राणियों और पक्षियों को किसी भी दौड़ या लड़ाई में हिस्सा लेने को बाध्य नहीं किया जाना चाहिये।

जंगली सूअर, बंदर और तोते जैसे प्राणियों, पक्षियों को अनाज को हानि पहुँचाने वाले जीव घोषित कर मनुष्यों और प्राणियों के संघर्ष के नाम पर मार डालने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिये।

ओशनेरियम, डोल्फिनेरियम, सी वर्ल्ड (Sea World) और एक्वेटिक, जल एवं थीम पार्क सरीखे एक्वेरियम बनने नहीं चाहिये, साथ ही सजावटी मछली एवं मछली की टंकियों के ऊपर प्रतिबंध होना चाहिये।

मनोरंजन हेतु मछली पकड़ना, माहसिर और अन्य मछलियों को पकड़ना एवं छोड़ना बंद होना चाहिये, जिसमें हुक में मछली फांसना और खाने के लिये मछली पकड़ना भी शामिल है।

वन्य प्राणियों के प्राकृतिक वास के ऊपर से ड्रोन उड़ाने नहीं चाहिये, क्यूंकि, उनके कारण विलुप्तप्राय: प्रजाति को तनाव होता है, फलत: उनके प्रजनन में बाधा पहुँचती है।

ध्वनि और वायु प्रदूषण करनेवाले, प्राणियों, पक्षियों और मनुष्यों तक को तनाव, चोट और मृत्यु पहुँचाने वाले तमाम पटाखों का निर्माण, परिवहन, बिक्री और फोड़ना बंद होना चाहिये।

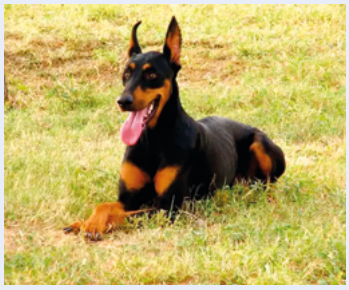

किसी भी नस्ल के कुत्ते की पूंछ काटने, कान काटने, भौंकना बंद कराने, दांतों को फ़ाइल करना और नाखून पंजे से निकालने पर प्रतिबंध। इसी तरह बिल्ली के नाखून पंजे से निकालने पर प्रतिबंध।

प्लास्टिक का उपयोग संयमपूर्वक होगा और जिम्मेदारीपूर्वक उसका निष्कासन भी होगा, ताकि उससे पर्यावरण में अन्य जीवों को हानि न हो।

पक्षियों, प्राणियों और मनुष्यों को घातक चोट से बचाने हेतु प्राधिकारियों को चाहिये कि वे पतंग उड़ाने में काम आनेवाले मांजे के निर्माण, संग्रहण, खरीद और उसके प्रयोग के ऊपर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध सख़्ती से लागू करें।

विमान पक्षियों के साथ न टकराएँ, यह सुनिश्चित करने हेतु यथावश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

नेवले और सूअर जैसे अन्य प्राणियों के ऊपर ब्रश निर्माण हेतु उनके कड़े बालों के लिए अत्याचार नहीं किया जाना चाहिये।

विदेशों से तस्करी करके लाई गई आकर्षक प्रजाति को उनके मूल देश में वापस भेजना चाहिये, चिड़ियाघर में नहीं, न ही बचाव केंद्र या पुनर्वसन केंद्र में भेजना चाहिये, न ही भारत में 'पालतू' के रूप में रखने की छूट देनी चाहिये।

ऊंट, टट्टू और हाथी के ऊपर सुख-सवारी प्रतिबंधित होनी चाहिये।

पहाड़ी रास्तों पर खच्चर और गधों के स्थान पर परिवहन के अन्य साधनों का उपयोग होना चाहिये।

चीते जैसे वन्य-प्राणी को पकड़ने अथवा बंधनग्रस्त स्थिति में मनोरंजन हेतु बछड़े, मुर्गियां, कुत्ते और बकरियों को जीवित चारे के रूप में खिलाने पर सख़्त पाबंदी लगनी चाहिये।

सर्कस में पक्षी, मछली या प्राणियों के करतब या प्रदर्शन के ऊपर सख़्त प्रतिबंध।

भारत या विदेश में बनी फिल्म या विज्ञापन, जिसमें प्राणी का उपयोग हुआ हो, अर्थात्, प्रत्यक्ष रूप से उन पर क्रूरता ढाई गई है, के ऊपर प्रतिबंध।

बंदर, भालू या सांप का बीच रस्ते पर अवैध करतब हेतु उपयोग कभी भी नहीं होना चाहिये।

धर्म के नाम पर या लकड़ी काटने के लिये बंधनग्रस्त हाथी और अन्य प्राणियों से करतब न कराये जायें, उन्हें मुक्त करते हुए उनसे ऐसे काम न कराए जायें।

किसी भी कारण से वनों के विनाश या पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति नहीं।

रेल की पटरियों के उपर हाथी, अन्य वन्य जीव और मवेशियों को ट्रेन से टकराने से बचाने हेतु यथोचित एवं समयोचित कदम लिए जाने चाहिये।

इसी प्रकार वन्य क्षेत्र में पड़ने वाले प्रमुख मार्ग (हाइवे) के ऊपर से गुज़रने वाले प्राणियों को वाहनों की टक्कर से बचाया जाएँ।

मेंढक और शार्क का शिकार बंद करके उन्हें भोजन की सामग्री के रूप में परोंसना बंद करना चाहिये।

जीवजंतु को खाद्य सामग्री नहीं माना जाना चाहिये। लाख और कोषीनिल को खाद्य घटक के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

प्राणियों या सब्ज़ियों में आनुवंशिक परिवर्तन (विशेषकर, यदि सब्ज़ी में प्राणी के वंशाणु – genes डाले जाने हो) की अनुमति कभी प्रदान न की जाए।

खरगोश को उसके फर और मांस के लिए मारने हेतु पाला जाना नहीं चाहिये।

भारत–बांग्लादेश सीमा और भारत–नेपाल सीमा पर मांस, चमड़े और धार्मिक बलिदान के लिए पशुओं की तस्करी पर कड़ी निगरानी रखते हुए बंद हो।

पशु–पालन और प्राणियों की सघन कृषिकारी(पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सूअर, और दुधारू पशुओं का भी शोषण अथवा क़त्ल के लिए पालन–दूध की बिक्री मांस को सस्ता बनाती है), की ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी जानी चाहिये, खासकर निगमित–सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के नाम पर उद्योगों को तो कतई नहीं।

कत्लखानों का विस्तार या नए कत्लखाने स्थापित न हों, वस्तुत: तमाम कत्लखाने बंद हों।

एमु, शुतुरमुर्ग, टर्की (पेरू पक्षी), बटेर और बत्तख जैसे पक्षियों को उनके मांस और पंख के लिए मारने हेतु पाला जाना नहीं चाहिये।

धार्मिक प्रमुखों को चाहिए कि वे तमाम पशु–वध को प्रतिबंधित करें।

मोर के पंख के संग्रह, बिक्री, निर्यात और उनके स्वामित्व के हक के ऊपर, चाहे वह धार्मिक कारण से भी हो, एवं पक्षियों के पंख वाली फैन्सी सामग्री के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिये।

घड़ियाल और सरीसृप फ़ार्म, जहाँ पर उन्हें उनकी खाल के लिए लालन-पालन करते हुए मारा जाता है, कभी स्थापित नहीं होंगे।

चमड़े, सरीसृप की खाल, फर से बनी सामग्री के उत्पादन और बिक्री के लिए आयात और निर्यात के ऊपर प्रतिबंध।

एम्बरग्रिस, कस्तूरी, भालू का पित्त, हाथीदांत, बाघ के नाख़ून और ट्रोफी जैसी वन्यजीवन सामग्रियों के ऑनलाइन अवैध व्यापार के ऊपर कठोर कार्रवाई और प्रतिबंध।

दो मुँह वाला सांप (sand boa), स्टार कछुआ, और उल्लू का सौभाग्यसूचक होना या फिर साही के कांटे काले जादू के काम आना, प्रकार की अंधश्रद्धा का अब निर्मूलन हो।

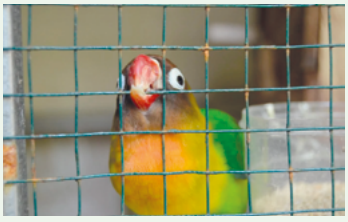

समस्त पक्षियों, चाहे वे भारतीय हो या विदेशी, के आयात, शिकार, व्यापार और पिंजरे में कैद करने के ऊपर भारतव्यापी संपूर्ण एवं प्रभावकारी प्रतिबंध लागू होना चाहिये।

खेलकूद के सामान में प्राणी के चमड़े, हड्डी, ऊन, आदि को वैकल्पिक सामग्री के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

रेशम, ऊन, मोती से बने आभूषण, मूंगा और कवच अत्यधिक क्रूरता एवं सजीवों की मौत से निपजने वाले उत्पाद हैं, अत: नकारात्मक फैशन स्टेटमेंट है । यह प्राणियों की खाल का जूते और अन्य सामग्री के लिए प्रयोग करने जैसा है । मांस और चमड़ा एक ही सिक्के के दो पहलु हैं और पशु की क़त्ल का परिणमन है।

अंतिम, लेकिन न्यूनतम नहीं, भारत सरकार को चाहिये कि वे प्राणियों (मनुष्यों के अलावा समस्त सजीवों) को संवेदनशील जीव, जिन्हें अधिकार और कानूनन दर्जा प्राप्त हो, के रूप में मान्यता दें और उनका स्वीकार करें। इसे कार्यान्वित करने के लिए सर्वप्रथम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में सुधार करते हुए उसे अर्थपूर्ण बनाना होगा। तार्किक रूप से प्राणी कल्याण को मानव कल्याण से जोड़ना होगा, न कि पशुपालन के साथ, जोकि पशुओं के पालन, शोषण और क़त्ल को बढ़ावा देता है।

गुलेल की आयात, निर्माण, बिक्री, खरीद और उपयोग के ऊपर पूर्णतया प्रतिबंध और विशेष रूप से उसे वन्यजीवन (सुरक्षा) अधिनियम के अंतर्गत 'शस्त्र' की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिये।

खुर्शीद भाथेना
ट्रस्टी एवं मानद् सचिव,
बी डब्ल्यु सी-भारत

सारगर्भित विचार
और हितों का टकराव

पशु–पालन

डेयरी उद्योग

मत्स्य–पालन

क़त्ल करने के लिए पशु पालने में विश्वास करना

प्राणी कल्याण

सभी सजीवों का संवेदनशील

जीव के रूप में आदर करना

प्राणी कल्याण का विषय पशु पालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय, जोकि प्राणियों के ऊपर अत्याचार एवं मृत्यु को सक्रियतापूर्वक बढ़ावा देता है, के अंतर्गत रखना अनैतिक एवं अनुचित है।

अत: बी डब्ल्यू सी ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि भारतीय प्राणी कल्याण बोर्ड का स्थानांतरण करते हुए उसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अथवा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाये।

प्रजाति विशेषज्ञ

बाघ, हाथी, कुत्ता,
बकरी, मुर्गि और मछली

के बीच भेदभाव करते हैं।

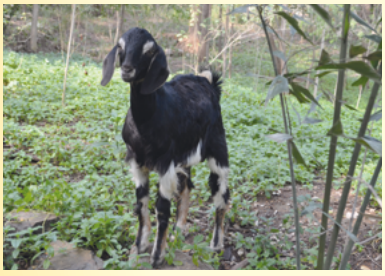

वे केवल तीन के साथ ऐक्य रखते हैं।
उन्हें इसकी परवाह नहीं कि
अन्य तीन का क़त्ल कर दिया जाए।

प्रजातिवाद नस्लवाद और लिंगवाद के समान है।

50 Years BWC 1974–2024

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी – भारत
4 प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव, वानवडी, पुणे 411 040
+91 74101 26541
admin@bwcindia.org bwcindia.org

Scan me

For Private Circulation. R.N. No. 35650/77